उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग–8

संख्या 08 /2018/9(120)/XXVII(8)/2017/ CT-75

देहरादून:: दिनांक:: 01 जनवरी, 2018

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सहर्ष, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 को अग्रेतर संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (चौदहवां संशोधन) नियम, 2017

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (चौदहवां संशोधन) नियम, 2017 है ।

(2)जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए, ये दिनांक 29 दिसम्बर, 2017 से प्रवृत्त होंगे ।

नियम 17 में संशोधन

2. **उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017(जिसे यहॉं आगे मूल नियम कहा गया है) के नियम 17 के वर्तमान** उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

(1क) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन प्रदान किया गया विशिष्ट पहचान संख्यांक उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन प्रदान किया गया समझा जायेगा।

नियम 19 में संशोधन

3. **"मूल नियम" के नियम 19 के वर्तमान** उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

(1क) उपनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन की किसी विशिष्टि का, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से आयुक्त के आदेश के सिवाय और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो आयुक्त उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट करे, उस तारीख से, जो सामान्य पोर्टल पर प्ररुप **जीएसटीआरईजी–14** में आवेदन प्रस्तुत करने, की तारीख से पूर्वतर हो, संशोधन नहीं किया जाएगा।

अनुभाग
आवश्यक कार्यवाही करें।
अपर आयुक्त वाणिज्य कर
उत्तराखण्ड, देहरादून

नियम 89 में संशोधन

4. दिनांक 23 अक्तूबर, 2017 से "मूल नियम" के नियम 89 के स्तम्भ–1 में दिए गए वर्तमान उपनियम (4) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रखा जायेगा; अर्थात्

स्तम्भ–1 वर्तमान उपनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
(4) माल या सेवा या दोनों के शून्य-दर पूर्ति की दशा में एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का	(4) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 16 की उपधारा (3) के उपबंधों के

DT:/Final Rules/ Rules (fourteenth Amendment)(Hin & Eng)(29-12-2017)

Mat

13) की धारा 16 की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसरण में बचन-पत्र के बंध या पत्र के अधीन कर के संदाय के बिना निवेश कर प्रत्यय का प्रतिदाय निम्नलिखित फार्मूले के अनुसार प्रदान किया जाएगा ।

प्रतिदाय रकम =(माल के शून्य दर पूर्ति का आवर्त +सेवा के शून्य दर पूर्ति का आवर्त) x निवल आई टी सी ÷ समायोजित कुल आवर्त जहां :

(अ) "प्रतिदाय रकम" से अधिकतम प्रतिदाय जो अनुज्ञेय है, अभिप्रेत है ;

(आ) "शुद्ध आईटीसी" से सुसंगत अवधि के दौरान इनपुट और इनपुट सेवाओं पर लिया गया निवेश कर प्रत्यय अभिप्रेत है ;

(इ) "माल के शून्य दर पूर्ति का आवर्त" से वचन-पत्र के बंध या पत्र के अधीन कर के संदाय बिना सुसंगत अवधि के दौरान किए गए माल के शून्य दर पूर्ति का मूल्य अभिप्रेत है ;

(ई) सेवा के शून्य दर पूर्ति का आवर्त" से वचन-पत्र के बंध या पत्र के अधीन कर के संदाय बिना सुसंगत अवधि के दौरान किए गए सेवा के शून्य दर पूर्ति का मूल्य अभिप्रेत है जो निम्नलिखित रीति में संगणित किया जाएगा अर्थात्,

"सेवा के शून्य दर पूर्ति, सेवा के शून्य दर पूर्ति के लिए सुसंगत अवधि के दौरान प्राप्त किए गए संदायों और सेवा के शून्य दर पूर्ति जहां पूर्ति पूरा किया जा चुका है जिसके लिए संगत अवधि से पूर्व किसी अवधि में संदाय अग्रिम प्राप्त कर लिया गया है, के योग में से सेवाओं की शून्यदर पूर्ति, जिसके लिए संगत अवधि के दौरान सेवाओं की पूर्ति को पूरा नहीं किया गया है, के लिए प्राप्त अग्रिम घटाकर है;

(उ) "समायोजित कुल आवर्त" से धारा 2 की उपधारा (112) के अधीन यथा परिभाषित राज्य में सुसंगत अवधि के दौरान शून्य दर पूर्तियों से भिन्न छूट पूर्तियों के मूल्य को छोड़कर आवर्त अभिप्रेत है ;

अनुसार बंधपत्र या परिवचन पत्र के अधीन कर का संदाय किए बगैर माल या सेवाओं या दोनों के शून्य दर प्रदाय की दशा में इनपुट कर प्रत्यय का प्रतिदाय निम्नलिखित सूत्र के अनुसार दिया जाएगा,-

प्रतिदाय की रकम = (माल के शून्य दर पूर्ति का आवर्त + सेवाओं के शून्य दर पूर्ति का आवर्त) X शुद्ध आई टी सी÷ समायोजित कुल आवर्त

जहां,-

(अ) "प्रतिदाय की रकम" से ऐसा अधिकतम प्रतिदाय अभिप्रेत है जो अनुज्ञेय हो ;

(आ) "शुद्ध आई टी सी" से ऐसे उपभोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय से भिन्न जिसके लिए उपनियम (4 क) या उपनियम (4 ख) या दोनों के अधीन प्रतिदाय का दावा किया गया है, ऐसी सुसंगत अवधि के दौरान इनपुटों और इनपुट सेवाओं पर उपभोग किया गया इनपुट कर प्रत्यय अभिप्रेत है ।

(इ) "माल के शून्य दर पूर्ति के आवर्त" से ऐसे पूर्तियों के आवर्त से भिन्न, जिसके संबंध में उपनियम (4 क) या उपनियम (4 ख) या दोनों के अधीन प्रतिदाय का दावा किया गया है, बंधपत्र या परिवचन पत्र के अधीन कर के संदाय के बिना सुसंगत अवधि के दौरान किए गए माल के शून्य दर पूर्ति का मूल्य अभिप्रेत है ;

(ई) "सेवाओं के शून्य दर पूर्ति के आवर्त" से बंधपत्र या परिवचन पत्र के अधीन कर संदाय बिना निम्नलिखित रीति में संगणित किए गए सेवाओं के शून्य दर पूर्ति का मूल्य अभिप्रेत है, अर्थात् :-

सेवाओं की शून्य दर पूर्ति, सेवाओं के शून्य दर पूर्ति के लिए सुसंगत अवधि के दौरान प्राप्त संदायों का योग है और संदायों की शून्य दर पूर्ति जहां पूर्ति पूर्ण हो गयी है जिसके लिए सुसंगत अवधि से पहले की किसी अवधि में अग्रिम के तौर पर संदाय प्राप्त हुआ था जिसे सेवाओं के शून्य दर पूर्ति के लिए प्राप्त अग्रिमों द्वारा घटाया गया है जिसके लिए सुसंगत अवधि के दौरान सेवाओं की पूर्ति पूर्ण नहीं हुई है ;

(ऊ) "सुसंगत अवधि" से वह अवधि अभिप्रेत है जिसके लिए दावा किया गया है । (5) विपरीत शुल्क ढांचा के संबंध में निवेश कर प्रत्यय का प्रतिदाय निम्नलिखित फार्मूलों के अनुसार प्रदान किया जाएगा अधिकतम प्रदिदाय रकम : [(माल की विपरीत दर पूर्ति का आवर्त) x शुद्ध आईटीसी ÷ समायोजित कुल आवर्त] –माल के ऐसे विपरीत दर पूर्ति पर कराधेय कर । स्पष्टीकरण : इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए पद "शुद्ध आईटीसी और समायोजित कुल आवर्त " से वह अर्थ समनुदेशित है जो उपनियम (4) में उनके लिए हैं।	(उ) "समायोजित कुल आवर्त" से सुसंगत अवधि के दौरान,- (क) शून्य दर पूर्तियों से भिन्न छूट प्राप्त पूर्तियों के मूल्य और (ख) ऐसे पूर्तियों का आवर्त, जिसके संबंध में उपनियम (4क) या उपनियम (4ख) या दोनों के अधीन प्रतिदाय का दावा, यदि कोई हो, किया गया है, को अपवर्जित करते हुए धारा 2 के खंड (112) के अधीन यथा परिभाषित किसी राज्य का आवर्त अभिप्रेत है ; (ऊ) सुसंगत अवधि से ऐसी अवधि अभिप्रेत है जिसके लिए दावा फाइल किया गया है । (4क) ऐसे प्राप्त पूर्तियों की दशा में जिन पर पूर्तिकार ने अधिसूचना संख्याक 914/2017/9(120)/XXVII (8) /2017 दिनांक 10 नवम्बर, 2017 के लाभ का उपभोग किया है, माल या सेवाओं को शून्य दर पूर्ति बनाने में उपयोग किए गए अन्य इनपुटों या इनपुट सेवाओं के संबंध में उपभोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय का प्रतिदाय अनुदत्त किया जाएगा। (4ख) ऐसे प्राप्त पूर्तियों की दशा में जिन पर पूर्तिकार ने अधिसूचना सं. 916/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 दिनांक 10 नवम्बर, 2017 या अधिसूचना सं. 41/2017 एकीकृत कर (दर) तारीख 23 अक्तूबर, 2017 या दोनों के लाभ का उपभोग किया है, माल के निर्यात के लिए उक्त अधिसूचनाओं के अधीन प्राप्त इनपुटों के संबंध में उपभोग किए गए कर प्रत्यय का प्रतिदाय और माल का ऐसा निर्यात करने में प्रयोग की गई सीमा तक अन्य इनपुटों या इनपुट सेवाओं के संबंध में उपभोग किया गया इनपुट कर प्रत्यय अनुदत्त किया जाएगा ।";

नियम 95 में संशोधन

5. "मूल नियम" के नियम 95 में–
(क) स्तम्भ–1 में दिए गए वर्तमान उपनियम (1) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रखा जायेगा; अर्थात्

Math

स्तम्भ–1 वर्तमान उपनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
(1) धारा 55 के अधीन जारी अधिसूचना के अनुसार अपने आवक पूर्तियों पर उसके द्वारा संदत्त कर का प्रतिदाय के दावे के लिए पात्र कोई व्यक्ति प्रतिदाय के लिए **प्ररूप जीएसटी आरएफडी-10** में प्रतिदाय के लिए प्रत्येक तिमाही में एक बार समान पोर्टल पर इलैक्ट्रानिक रूप से चाहें सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित साहयता केन्द्र के माध्यम से प्ररूप **जीएसटीआर-11** में माल या सेवाओं या दोनों के आवक पूर्तियों के कथन सहित **प्ररूप जीएसटीआर-1** में तत्स्थानी पूर्तिकारों द्वारा आवक पूर्तियों के कथन के आधार पर तैयार रूप में आवेदन करेगा ।	"(1) धारा 55 के अधीन जारी अधिसूचना के अनुसार उसके आंतरिक पूर्तियों पर उसके द्वारा संदत्त कर के प्रतिदाय का दावा करने के लिए पात्र कोई व्यक्ति, **प्ररुप जीएसटीआरएफडी-10** में प्रतिदाय के लिए प्रत्येक तिमाही में एक बार समान पोर्टल पर या अन्य अन्यथा, इलैक्ट्रानिकरुप से प्रत्यक्षतः या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से **प्ररुप जीएसटीआर-11** में माल या सेवाओं या दोनों के आंतरिक पूर्तियों के विवरण के साथ आवेदन करेगा;

(ख) उपनियम (3) के खंड (क) में "और संदत्त कर को छोड़कर, यदि कोई है, एकल कर बीजक के अधीन आने वाले पूर्ति का पांच हजार रुपए से अधिक मूल्य" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

नियम 96 में संशोधन

6. दिनांक 23 अक्तूबर, 2017 से "मूल नियम" के नियम 96 में–

(क) शीर्षक में "निर्यात किए गए माल" शब्दों के पश्चात् " या सेवाओं" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे

(ख) उपनियम (8) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

(9) माल या सेवाओं के निर्यात पर संदत्त एकीकृत कर के प्रतिदाय का दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा ऐसे पूर्तियों को प्राप्त नहीं किया गया होगा, जिन पर पूर्तिकार ने अधिसूचना सं. 914/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 दिनांक 10 नवम्बर, 2017 या 916/2017/9(120)/XXVII(8)/ 2017 दिनांक 10 नवम्बर, 2017 या अधिसूचना संख्यांक 41/2017-एकीकृत कर (दर) तारीख 23 अक्तूबर, 2017 के लाभ का उपयोग किया है ।

प्ररूप जीएसटी आरईजी-10 में संशोधन

7. "मूल नियम" के वर्तमान प्ररूप जीएसटीआरईजी-10 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:-

"प्ररूप जीएसटी आरईजी-10

[नियम 14(1)देखें]

रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न, भारत में किसी व्यक्ति को भारत से बाहर स्थान से ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुनः प्राप्ति सेवाओं की पूर्ति करवाने वाले व्यक्ति के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

भाग-क

(i)	व्यक्ति का विधिक नाम	
(ii)	कर पहचान संख्या या विशिष्ट संख्या जिसके आधार पर उस देश की सरकार द्वारा अस्तित्व	

Mohd

	की पहचान की जाती है	
(iii)	प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम	
(iv)	प्राधिकृत हस्ताक्षरी का ई-मेल पता	
(v)	भारत में नियुक्त प्रतिनिधि का नाम, यदि कोई है (क) भारत में प्रतिनिधि का स्थाई खाता संख्या (ख) भारत में प्रतिनिधि का ई-मेल पता (ग) भारत में प्रतिनिधि का मोबाइल नं. (+91)	

टिप्पण - जहां व्यवहार्य हो, भाग – ख को भरने से पूर्व, वहां ऊपर प्रस्तुत सुसंगत जानकारी ऑनलाइन सत्यापन के अध्यधीन है।

<u>भाग-ख</u>

1.	प्राधिकृत हस्ताक्षरी के ब्यौरे (भारत का निवासी होगा)		
	प्रथम नाम	मध्य नाम	अन्तिम नाम
	फोटो		
	लिंग		पुरूष/स्त्री/अन्य
	पदनाम		
	जन्म की तारीख		तारीख/मास/वर्ष
	पिता का नाम		
	राष्ट्रीयता		
	आधार, यदि कोई हो		
	प्राधिकृत हस्ताक्षरी का पता		पता पंक्ति 1
			पता पंक्ति 2
			पता पंक्ति 3
2.	भारत में ऑनलाइन सेवा के प्रारम्भ की तारीख		तारीख/मास/वर्ष
3	वेबसाइट, जिसके माध्यम से कराधेय सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, के एक समान स्रोत अवस्थापक (यूआरएल): 1. 2. 3.		

Math

<table>
<tr><td>4</td><td colspan="2">अधिकारिता</td><td colspan="2">केन्द्र</td><td colspan="2">बैंगलुरु पशिचम, सी.जी.एस.टी, कमिश्नरेट</td></tr>
<tr><td rowspan="3">5</td><td colspan="6">भारत में प्रतिनिधि के बैंक खाते के ब्यौरे(यदि नियुक्ति हुई है)</td></tr>
<tr><td>खाता सं.</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">खाता का प्रकार</td><td></td></tr>
<tr><td>बैंक का नाम</td><td></td><td>शाखा का पता</td><td></td><td>आइएफएससी</td><td></td></tr>
<tr><td>6</td><td colspan="6">अपलोड किए गए दस्तावेज
प्ररूप में फील्ड मूल्यों के अनुसार अपलोड किए जाने वाले अपेक्षित दस्तावेजों (अनुदेश देखें) की अनुकूल सूची</td></tr>
<tr><td>7</td><td colspan="6">घोषणा
मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता और घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा इससे कोई बात नहीं छिपाई गई है।
मैं.........यह घोषणा करता हूं कि मैं रजिस्टरकर्ता की ओर से हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत हूं। मैं कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित गैर-निर्धारिती ऑनलाइन प्राप्तिकर्ता से दायी से कर प्रभारित करूंगा और संग्रहीत करूंगा और उसे भारत सरकार में जमा करूंगा।
हस्ताक्षर
स्थान: प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम
तारीख: पदनाम :</td></tr>
</table>

टिप्पणः आवेदक से पासपोर्ट और फोटो की स्कैंन की गई प्रति के साथ घोषणा (अधोलिखित रूप विधान के अनुसार) अपलोड करने की अपेक्षा की जाएगी।

साक्ष्य के रूप में अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची निम्नानुसार है:-

1.	भारत में प्रतिनिधि के कारबार के स्थान का सबूत: (क) स्वयं के परिसरों के लिए – नवीनतम संपत्ति कर रसीद या नगरपालिक खाते की प्रति या बिजली के बिल की प्रति, जैसे परिसरों के स्वामित्व के समर्थन में कोई दस्तावेज। (ख) किराए पर या पट्टे पर लिए गए परिसरों के लिए– पट्टाकर्ता के परिसरों के स्वामित्व के समर्थन में किसी दस्तावेज सहित विधिमान्य किराया/पट्टा करार की प्रति जैसे नवीनतम संपत्ति कर रसीद या नगरपालिक खाते की प्रति या बिजली के बिल की प्रति (ग) उपरोक्त (क) और (ख) के अन्तर्गत न आने वाले परिसरों के लिए – सहमतिदाता के परिसरों के स्वामित्व के समर्थन में किसी दस्तावेज सहित सहमतिपत्र की प्रति/सांझा की गई संपत्तियों के लिए भी इन्हीं दस्तावेजों को अपलोड किया जाए जैसे नगरपालिका खाता की प्रति या बिजली के बिल की प्रति ।
2.	निम्नलिखित के सबूत : वीजा ब्यौरों के साथ अनिवासी करदाता के पासपोर्ड की स्कैन की गई प्रति। कंपनी/सोसाइटी/एलएलपी/एफसीएनआर आदि के मामले में ऐसा व्यक्ति, जो प्राधिकार पत्र के साथ मुख्तारनामा धारण करता है।

	निगमन के प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति यदि कंपनी भारत से बाहर या भारत में रजिस्ट्रीकृत है। उद्भव के देश द्वारा जारी अनुज्ञप्ति की स्कैन की गई प्रति भारत सरकार द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति।
3	बैंक खाता सम्बद्ध सबूत: बैंक पासबुक के पहले पृष्ठ/बैंक विवरण के एक पृष्ठ की स्कैन की गई प्रति। स्वत्वधारी/कारबार समुत्थान के नाम में धारित बैंक पासबुक का आरंभिक पृष्ठ, जिसमें खाता धारक का खाता संख्या, नाम/एमआइसीआर और आइएफएससी तथा शाखा के ब्यौरे अन्तर्विष्ट हों।
4	भारत में प्रतिनिधि के रूप में नियुक्ति से संबंधित दस्तावेजों की स्कैन कापी, यदि लागू हों ।
5	प्राधिकार प्ररूप:- प्राधिकार प्ररूप में उल्लिखित हस्ताक्षरी के लिए, निम्नलिखित रूप विधान में फाइल की जाने वाली प्रबंध समिति या निदेशक बोर्ड के प्राधिकार या उसके संकल्प की प्रति: प्राधिकृत हस्ताक्षरी के लिए घोषणा (प्रत्येक हस्ताक्षरी के लिए अलग से) मैं ....(प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी या मुख्तारनामा धारक सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और यह घोषणा करता हूं कि कारबार <<कारबार का नाम>>जिसके लिए आरईजी का आवेदन केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन फाइल किया जा रहा है/ रजिस्ट्रीकृत है, के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरी के रूप में कार्य करने के लिए <<प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम>>प्राधिकृत हूं। इस कारबार के सम्बन्ध में उसकी सभी कार्रवाईयां मुझ पर/हम पर आबद्धकर होंगी। उन व्यक्तियों के हस्ताक्षर, जो भारसाधक हैं। क्र. सं. पूरा नाम पदाभिधान/प्रास्थिति हस्ताक्षर 1. प्राधिकृत हस्ताक्षरी के रूप में स्वीकृति मैं<<(प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम>>ऊपर निर्दिष्ट कारबार के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरी के रूप में कार्य करने की अपनी स्वीकृति सत्यनिष्ठा से देता हूं और मेरे सभी कार्य कारबार पर आबद्धकर होंगे। (नाम)प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षरस्थान तारीख: पदनाम /प्रास्थिति

अनुदेश –

1. यदि प्राधिकृत हस्ताक्षरी भारत में नहीं रहता है, तो डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के माध्यम से प्रमाणीकरण नहीं किया जाएगा । प्रमाणीकरण इलैक्ट्रोनिक वेरीफिकेशन कोड (ई वी सी) के माध्यम से किया जाएगा ।

2. भारत में नियुक्ति प्रतिनिधि से अभिप्रेत एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 14 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट है ।

प्ररूप जीएसटी आरईजी – 13 में संशोधन

8. "मूल नियम" के वर्तमान प्ररूप **जीएस.टीआरईजी– 13** में–

(क) भाग-ख के क्रम सं.-4 में "राज्य में इकाई का पता" शब्दों के स्थान पर "इकाई का पता जिसके संबंध में केन्द्रीयकृत यू.आई.एन. चाहा गया है" शब्दों को रखा जाएगा;

(ख) अनुदेशों में, "प्रत्येक व्यक्ति, जिससे विशिष्ट पहचान संख्या अभिप्राप्त करने की अपेक्षा है, इलैक्ट्रानिक रूप से आवेदन प्रस्तुत करेगा" शब्दों के स्थान पर, "प्रत्येक व्यक्ति, जिससे विशिष्ट पहचान संख्या अभिप्राप्त करने की अपेक्षा है, इलेक्ट्रानिकी रूप से आवेदन प्रस्तुत करेगा या अन्यथा ।";

प्ररूप जीएसटी आर-11 में संशोधन

9. "मूल नियम" के वर्तमान **प्ररूप जीएसटी आर-11** के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:-

प्ररुप जीएसटीआर -11

[नियम 82 देखें]

विशिष्टि पहचान संख्यांक (यूआईएन) वाले व्यक्तियों द्वारा आवक पूर्ति का विवरण

वर्ष				
कर अवधि				

1	यू एन आई	
2.	यू एन आई वाले व्यक्ति का नाम	Auto populated

3. प्राप्त आवक पूर्ति के ब्यौरे

(सभी सारणी के लिए रकम रुपए में)

प्रदायकर्ता का जीएसटीआईएन	बीजक /नामे नोट/जमापत्र के ब्यौरे			दर	कराधेय मूल्य	कर की रकम				पूर्ति का स्थान
	संख्या	तारीख	मूल्य			एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर	उपकर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3क. प्राप्त बीजक										
3ख. प्राप्त नामे नोट/जमापत्र										

सत्यापन

मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और या घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से सत्य और सही है और इसमें कुछ भीनहीं छिपाया गया है।

हस्ताक्षर ....

स्थानः प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम ....

तारीखः पदनाम/प्रास्थिति ....

अनुदेश- :

1. **प्रयुक्त शब्द :-**

(क)जीएसटीआईएनः - माल और सेवा कर पहचान संख्यांक

(ख) यूआईएन :- विशिष्ट पहचान संख्यांक

2. प्रतिदाय आवेदन उसी राज्य में फाइल करना होगा, जहां विशिष्ट पहचान संख्यांक दिया गया है ।

3. प्रतिदाय प्रयोजन के लिए केवल वही बीजक प्रविष्ट किए जा सकेंगे जिन पर प्रतिदाय मांगा गया है।

प्ररूप जी.एस.टी. आरएफडी-10 में संशोधन 10. "मूल नियम" के वर्तमान **जी.एस.टी. आरएफडी-10** के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:-

प्ररुप जीएसटी आरएफडी-10

[नियम 95(1) देखें]

संयुक्त राष्ट्र का कोई विशिष्ट अभिकरण या कोई बहुपक्षीय वितीय संस्थान और संगठन, कान्सुलेट या विदेशी राज्यों के दूतावास द्वारा प्रतिदाय के लिए आवेदन

1. यूनिक पहचान संख्या :
2. नाम :
3. पता :
4. कर अवधि (तिमाही): दिन /मास /वर्ष से तक...................<दिन /मास /वर्ष>
5. ए आर एन और जी एस टी आर 11 की तारीख : ए आर एन <....................><दिन /मास/ वर्ष>
6. दावा प्रतिदाय की रकम <आई एन आर><शब्दों में>

राज्य	केन्द्रीय कर	राज्य कर	एकीकृत कर	उपकर
कुल				

7. बैंक खाते का ब्यौरा:

(क) बैंक खाता संख्या

(ख) बैंक खाते का प्रकार

(ग) बैंक का नाम

(घ) खाता धारक/ संचालक का नाम

(ङ) बैंक शाखा का पता

(च) आई एफ एस सी

(छ) एम आई सीआर

8. सत्यापन

मैं, ...<<दूतावास/अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम>> का प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास से सत्य और सही है और इसमें कुछ भी छिपाया नही गया है ।

यह कि हम सरकार द्वारा अधिसूचित संयुक्त राष्ट्र का विशिष्ट अभिकरण, बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान और संगठन, कान्सुलेट या विदेशी राज्यों के दूतावास कोई अन्य व्यक्ति विशिष्ट व्यक्तियों का वर्ग के रुप में ऐसे प्रतिदाय दावा के पात्र हैं ।

स्थान:

तारीख:

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

(नाम)

पदनाम/ प्रास्थिति

अनुदेश –

1. प्रतिदाय के लिए आवेदन तिमाही आधार पर किया जाएगा ।
2. सारणी सं. 6, जी एस टी आर-11 की सारणी 3 में दिए गए ब्यौरे से स्वतः भरा जाएगा।
3. प्रतिदाय रकम को पात्रता के अनुसार बदलने की सुविधा होगी ।
4. एमईए द्वारा जारी अपेक्षित प्रमाणपत्र जिनमें प्रतिदाय की सुविधा अनुदत्त की गई है, को उपयुक्त अधिकारी के समक्ष प्रतिदाय दावा प्रसंस्करण करने हेतु उपलब्ध करवाया जाएगा ।

जीएसटी डीआरसी -07 **में संशोधन**

11. **"मूल नियम" के वर्तमान** प्ररूप जीएसटी डीआरसी -07 में, क्रम सं. 5 पर सारणी का लोप किया जाएगा ।

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव

सं0 08 / 2018 / 9(120) / XXVII(8) / 2017 / CT-715 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1—आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।

2—निदेशक, मुद्रण एंव लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी / अंग्रेजी प्रतियॉं इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100—100 प्रतियॉं वित्त अनुभाग—8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।

3—विधायी एवं संसदीय कार्य अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।

4—अपर सचिव, वित्त—8, उत्तराखण्ड शासन।

5—एन0आई0सी0

6—गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

Mathl

(बी0बी0मठपाल)
अपर सचिव

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 08/2018/9(120)/XXVII(8)/2017/CT-75 dated 01 January, 2018 for general information.

Government of Uttarakhand
Finance Section-8
No. 08 /2018/9(120)/ XXVII(8)/2017/CT-75
Dehradun :: Dated:: 01 January, 2018

Notification

In exercise of the powers conferred by section 164 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017), the Governor is pleased to make the following rules to further amend the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

The Uttarakhand Goods and Services Tax (Fourteenth Amendment) Rules, 2017

Short title and Commencement	**1.**	**(1)** These rules may be called the Uttarakhand Goods and Services Tax (Fourteenth Amendment) Rules, 2017. **(2)** Unless otherwise specified, they shall come into force from the 29th day of December, 2017.
Amendment in Rule 17	**2.**	In rule 17 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017, (hereinafter referred to as the principal rules), after the existing sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted; namely- (1A) The Unique Identity Number granted under the Central Goods and Services Tax Act, 2017 shall deemed to be granted under the Uttarakhand Goods and services Tax Act, 2017.
Amendment in Rule 19	**3.**	In rule 19 of the "Principal Rules", after the existing sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:- (1A) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), any particular of the application for registration shall not stand amended with effect from a date earlier than the date of submission of the application in **FORM GST REG-14** on the common portal except with the order of the Commissioner for reasons to be recorded in writing and subject to such conditions as the Commissioner may, in the said order, specify.";
Amendment in Rule 89	**4.**	In rule 89 of the "Principal Rules", with effect from 23rd October, 2017, for sub-rule (4) set out in column-1, the following sub-rule set out in column-2 shall be substituted, namely:-

Column-1 Existing sub-rule	Column-2 Hereby substituted sub-rule
(4) In the case of zero-rated supply of goods or services or both without payment of tax under bond or letter of undertaking in accordance with the provisions of sub-section (3) of section 16 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), refund of input tax credit shall be granted as per the following formula - Refund Amount = (Turnover of zero-rated supply of goods + Turnover of zero-rated supply of services) x Net ITC ÷Adjusted Total Turnover Where,- (A) "Refund amount" means the maximum refund that is admissible; (B) "Net ITC" means input tax credit availed on inputs and input services during the relevant period; (C) "Turnover of zero-rated supply of goods" means the value of zero-rated supply of goods made during the relevant period without payment of tax under bond or letter of undertaking; (D) "Turnover of zero-rated supply of services" means the value of zero-rated supply of services made without payment of tax under bond or letter of undertaking, calculated in the following manner, namely:- Zero-rated supply of services is the aggregate of the payments received during the relevant period for zero-rated supply of services and zero-rated supply of services where supply has been completed for which payment had been received in advance in any period prior to the relevant period	(4) In the case of zero-rated supply of goods or services or both without payment of tax under bond or letter of undertaking in accordance with the provisions of sub-section (3) of section 16 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), refund of input tax credit shall be granted as per the following formula – Refund Amount = (Turnover of zero-rated supply of goods + Turnover of zero-rated supply of services) x Net ITC ÷Adjusted Total Turnover Where, - (A) "Refund amount" means the maximum refund that is admissible; (B) "Net ITC" means input tax credit availed on inputs and input services during the relevant period other than the input tax credit availed for which refund is claimed under sub-rules (4A) or (4B) or both; (C) "Turnover of zero-rated supply of goods" means the value of zero-rated supply of goods made during the relevant period without payment of tax under bond or letter of undertaking, other than the turnover of supplies in respect of which refund is claimed under sub-rules (4A) or (4B) or both; (D) "Turnover of zero-rated supply of services" means the value of zero-rated supply of services made without payment of tax under bond or letter of undertaking, calculated in the following manner, namely:- Zero-rated supply of services is the aggregate of the payments received during the relevant period for zero-rated supply of services and zero-rated supply of services where supply has been completed for which payment had been received in advance in any period prior to the relevant period reduced by advances received for zero-rated supply of services for which the supply of services has not been completed during the relevant period; (E) "Adjusted Total turnover" means the turnover in a State as defined under clause (112) of section 2, excluding – (a) the value of exempt supplies other than zero-rated supplies and (b) the turnover of supplies in respect of which refund is claimed under sub-rules (4A) or (4B) or both, if any, during the relevant period;

Math

reduced by advances received for zero-rated supply of services for which the supply of services has not been completed during the relevant period; (E) "Adjusted Total turnover" means the turnover in the State as defined under sub-section (112) of section 2, excluding the value of exempt supplies other than zero-rated supplies, during the relevant period; (F) "Relevant period" means the period for which the claim has been filed. (5) In the case of refund on account of inverted duty structure, refund of input tax credit shall be granted as per the following formula - Maximum Refund Amount = {(Turnover of inverted rated supply of goods) x Net ITC ÷ Adjusted Total Turnover} - tax payable on such inverted rated supply of goods Explanation.- For the purposes of this sub rule, the expressions "Net ITC" and "Adjusted Total turnover" shall have the same meanings as assigned to them in sub-rule (4).	(F) "Relevant period" means the period for which the claim has been filed. (4A) In the case of supplies received on which the supplier has availed the benefit of notification No. 914/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 dated 10th November, 2017, refund of input tax credit availed in respect of other inputs or input services used in making zero-rated supply of goods or services or both shall be granted. (4B) In the case of supplies received on which the supplier has availed the benefit of notification No. 916/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 dated 10th November, 2017 or notification No. 41/2017-Integrated Tax (Rate) dated 23rd October, 2017, or both, refund of input tax credit availed in respect of inputs received under the said notifications for export of goods and the input tax credit availed in respect of other inputs or input services to the extent used in making such export of goods shall be granted.";

Amendment in Rule 95

5. In rule 95 of the "Principal Rules"-

(a) for the existing sub-rule (4) set out in column-1, the following sub-rule set out in column-2 shall be substituted, namely:-

Column-1 Existing sub-rule	Column-2 Hereby substituted sub-rule
(1) Any person eligible to claim refund of tax paid by him on his inward supplies as per notification issued section 55 shall apply for refund in **FORM GST RFD-10** once in every quarter, electronically on the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner, along with a statement of the inward supplies of goods or services or both in **FORM GSTR-11**, prepared on the basis of the statement of the outward supplies furnished by the corresponding suppliers in **FORM GSTR-1**.	(1) Any person eligible to claim refund of tax paid by him on his inward supplies as per notification issued under section 55 shall apply for refund in **FORM GST RFD-10** once in every quarter, electronically on the common portal or otherwise, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner, along with a statement of the inward supplies of goods or services or both in **FORM GSTR-11.**";

(b) in sub-rule (3), in clause (a), the words "and the price of the supply covered under a single tax invoice exceeds five thousand rupees, excluding tax paid, if any" shall be omitted;

Amendment in Rule 96

6. In rule 96 of the "Principal Rules", with effect from 23rd October, 2017-

(a) in the heading, after the words "paid on goods", the words "or services" shall be inserted;

(b) after sub-rule (8), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

(9) The persons claiming refund of integrated tax paid on export of goods or services should not have received supplies on which the supplier has availed the benefit of notification No. 914/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 dated 10th November, 2017 or notification No. 916/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 dated 10th November, 2017 or notification No. 41/2017-Integrated Tax (Rate) dated 23rd October, 2017.";

Amendment in FORM GST REG-10

7. For **FORM GST REG-10** of the "Principal Rules", the following form shall be substituted, namely:-

Math

"Form GST REG-10

[See rule 14(1)]

Application for registration of person supplying online information and data base access or retrieval services from a place outside India to a person in India, other than a registered person.

Part –A

(i)	Legal name of the person	
(ii)	Tax identification number or unique number on the basis of which the entity is identified by the Government of that country	
(iii)	Name of the Authorised Signatory	
(iv)	Email Address of the Authorised Signatory	
(v)	Name of the representative appointed in India, if any	
	(a) Permanent Account Number of the representative in India	
	(b) Email Address of the representative in India	
	(c) Mobile Number of the representative in India (+91)	
Note- Relevant *information submitted above is subject to online verification, where practicable, before proceeding to fill up Part-B.*		

Part -B

1.	Details of Authorised Signatory		
	First Name	Middle Name	Last Name
	Photo		
	Gender		Male / Female / Others
	Designation		
	Date of Birth		DD/MM/YYYY
	Father's Name		
	Nationality		
	Aadhaar, if any		
	Address of the Authorised Signatory		Address line 1

Matal

<table>
<tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2" colspan="3"></td><td colspan="4">Address line 2</td></tr>
<tr><td colspan="4">Address line 3</td></tr>
<tr><td>2.</td><td colspan="3">Date of commencement of the online service in India.</td><td colspan="4">DD/MM/YYYY</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="7">Uniform Resource Locators (URLs) of the website through which taxable services are provided:
1.
2.
3…</td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="2">Jurisdiction</td><td colspan="2">Center</td><td colspan="3">Bengaluru West, CGST Commissionerate</td></tr>
<tr><td rowspan="3">5</td><td colspan="7">Details of Bank Account of representative in India(if appointed)</td></tr>
<tr><td>Account Number</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">Type of account</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>Bank Name</td><td></td><td>Branch Address</td><td colspan="2"></td><td>IFSC</td><td></td></tr>
<tr><td>6</td><td colspan="7">Documents Uploaded

A customized list of documents required to be uploaded (refer Instruction) as per the field values in the form</td></tr>
<tr><td>7</td><td colspan="7">Declaration
I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

I, _ ……………………………. hereby declare that I am authorised to sign on behalf of the Registrant. I would charge and collect tax liable from the non-assesse online recipient located in taxable territory and deposit the same with Government of India. Signature
Place: Name of Authorised Signatory:
Date: Designation:</td></tr>
</table>

Note: Applicant will require to upload declaration (as per under mentioned format) along with scanned copy of the passport and photograph.

List of documents to be uploaded as evidence are as follows:-

1.	Proof of Place of Business of representative in India, if any: (a) For own premises – Any document in support of the ownership of the premises like Latest Property Tax Receipt or Municipal Khata copy or copy of Electricity Bill. (b) For Rented or Leased premises – A copy of the valid Rent / Lease Agreement with any document in support of the ownership of the premises of the Lessor like Latest Property Tax Receipt or Municipal Khata copy or copy of Electricity Bill. (c) For premises not covered in (a) and (b) above – A copy of the Consent Letter with any document in support of the ownership of the premises of the Consenter like Municipal Khata copy or Electricity Bill copy. For shared properties also, the same documents may be uploaded.
2.	Proof of : Scanned copy of the passport of the Non -resident tax payer with VISA details. In case of Company/Society/LLP/FCNR/ etc. person who is holding power of attorney with authorisation letter. Scanned copy of Certificate of Incorporation if the Company is registered outside India or in India Scanned copy of License is issued by origin country Scanned copy of Clearance certificate issued by Government of India
3	Bank Account Related Proof: Scanned copy of the first page of Bank passbook / one page of Bank Statement Opening page of the Bank Passbook held in the name of the Proprietor / Business Concern – containing the Account No., Name of the Account Holder, MICR and IFSC and Branch details.
4.	Scanned copy of documents regarding appointment as representative in India, if applicable

Matl

5.	Authorisation Form:- For Authorised Signatory mentioned in the application form, Authorisation or copy of Resolution of the Managing Committee or Board of Directors to be filed in the following format: Declaration for Authorised Signatory (Separate for each signatory) I ---(Managing Director/Whole Time Director/CEO or Power of Attorney holder) hereby solemnly affirm and declare that <<name of the authorised signatory>> to act as an authorised signatory for the business << Name of the Business>> for which application for registration is being filed/ is registered under the Central Goods and Service Tax Act, 2017. All his actions in relation to this business will be binding on me/ us. Signatures of the persons who is in charge. S. No. Full Name Designation/Status Signature 1. Acceptance as an authorised signatory I <<(Name of authorised signatory>> hereby solemnly accord my acceptance to act as authorised signatory for the above referred business and all my acts shall be binding on the business. Signature of Authorised Signatory Place (Name) Date: Designation/Status

Instructions –

1. If authorised signatory is not based in India, authentication through digital signature certificate shall not be mandatory for such persons. The authentication will be done through Electronic Verification Code (EVC).
2. Appointed representative in India shall have the meaning as specified under section 14 of Integrated Goods and Services Tax Act, 2017.";

Amendment in FORM GST FORM GST REG-13

8. In **FORM GST REG-13** of the "Principal Rules"-

(a) in **PART-B**, at serial no. 4, the words, "Address of the entity in State" shall be substituted with the words, "Address of the entity in respect of which the centralized UIN is sought";

(b) in the Instructions, the words, "Every person required to obtain a unique identity number shall submit the application electronically" shall be substituted with the words, "Every person required to obtain a unique identity number shall submit the application electronically or otherwise."

Amendment in FORM GSTR-11

9. In **FORM GSTR-11** of the "Principal Rules", the following form shall be substituted, namely:-

Form GSTR -11

[See rule 82]

Statement of inward supplies by persons having Unique Identification Number (UIN)

Year	
Tax Period	

1.	UIN	
2.	Name of the person having UIN	Auto populated

3. Details of inward supplies received

(Amount in Rs. for all Tables)

GSTIN of supplier	Invoice/Debit Note/Credit Note details			Rate	Taxable value	Amount of tax				Place of Supply
	No	Date	Value			Integrated Tax	Central Tax	State Tax	CESS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3A. Invoices received										
3B. Debit/Credit Note received										

Verification

I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

Place

Signature

Name of Authorised Signatory

Date

Designation /Status

Instructions:-

1. Terms Used:-

(a) GSTIN :- Goods and Services Tax Identification Number

(b) UIN :- Unique Identity Number

Math

2. Refund applications has to be filed in the same State in which the Unique Identity Number has been allotted.

3. For refund purposes only those invoices may be entered on which refund is sought.";

Amendment in FORM GST RFD-10 **10.** In **FORM GST RFD-10** of the "Principal Rules", the following form shall be substituted, namely:-

"FORM GST RFD-10

[See rule 95(1)]

Application for Refund by any specialized agency of UN or any Multilateral Financial Institution and Organization, Consulate or Embassy of foreign countries, etc.

1. UIN :
2. Name :
3. Address :
4. Tax Period (Quarter) : From <DD/MM/YY> To <DD/MM/YY>
5. ARN and date of GSTR11 : ARN <…………..> Date <DD/MM/YY>
6. Amount of Refund Claim : <INR><In Words>

State	Central Tax	State Tax	Integrated Tax	Cess
Total				

7. Details of Bank Account:
   a. Bank Account Number
   b. Bank Account Type
   c. Name of the Bank
   d. Name of the Account Holder/Operator
   e. Address of Bank Branch
   f. IFSC
   g. MICR

8. Verification

I _______ as an authorised representative of << Name of Embassy/international organization >> hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom. That we are eligible to claim such refund as specified agency of UNO/Multilateral Financial Institution and Organization, Consulate or Embassy of foreign countries/ any other person/ class of persons specified/ notified by the Government.

Date: Signature of Authorised Signatory:

Place:

Name:

Designation / Status

Instructions

1. Application for refund shall be filed on quarterly basis.
2. Table No. 6 will be auto-populated from details furnished in table 3 of GSTR-11.
3. There will be facility to edit the refund amount as per eligibility.
4. Requisite certificate issued by MEA granting the facility of refund shall be produced before the proper officer for processing refund claim. ";

Amendment in FORM GST DRC-07 **11.** In **FORM GST DRC-07** of the "Principal Rules", the Table at serial no. 5 shall be omitted.

(Radha Raturi)
Principal Secretary